तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.34/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
05.1.2024	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (सोहनराम पुत्र दलाराम जी चौधरी, निवासी– ए.एच. 62, उथमण, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म होटल श्री कन्हैया, एच.एच. 62, उथमण, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (मिनाक्षी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म C.M. Foods, Plot No.09, RIICO IND. AREA, ANGORE, Sumerpur, Dist. Pali) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.11.2022 को फर्म होटल श्री कन्हैया, एन.एच. 62, उथमण, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सोहनराम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार (छगन मगन ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1931 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./2007/Act/2022/2007 दिनांक 05.12.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 02.8.2023 को प्रतिवादी संख्या–2 (मिनाक्षी) की ओर से जवाब प्राप्त हुआ तथा सुनवाई तिथि 26.12.2023 को प्रतिवादी संख्या–1 (सोहनराम) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 (सोहनराम) द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि श्री दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार (छगन मगन ब्राण्ड) का नमूना लिया गया। जो जांच में मिसब्राण्ड पाया गया। मेरे द्वारा दिये गये नमूने का पैकिंग कम्पनी (छगन मगन ब्राण्ड) का था। इस मामलें में मेरी कोई गलती नही है, अतः मुझे दोषमुक्त करावे। जबकि प्रतिवादी संख्या–2 (मिनाक्षी) की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि सोहनराम पुत्र दलाराम जी चौधरी, फर्म होटल श्री कन्हैया को हमनें किसी तरह का कोई माल विक्रय नही किया है, अतः फर्म से यह जानकारी अपेक्षित है कि उक्त खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार कहां से प्राप्त कर विक्रय किया जा रहा है। इसका बिल माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। प[illegible] राजस्थान की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर [illegible] जांच रिपोर्ट संख्याः ....[illegible]र	

न्यायालय मु० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:37 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.34/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

एल.एस. / 2007 / एक्ट / 2022 / 2007 दिनांक 05.12.2022 खाद्य पदार्थ अचार हेतु NABl द्वारा किसी भी तरह कोई मान्यता प्राप्त नही है। अतः कच्चे केर के अचार हेतु फूड NABl द्वारा जारी रिपोर्ट वैद्य नही है। FSSAI द्वारा अधिनियम में स्पष्ट उल्लेखित है कि FSSAI के अर्न्तगत NABl से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाल ही जांच कर सकती है। उक्त पब्लिक हेल्थ लेबारेटरी, जोधपुर आचार की जांच हेतु NABl से मान्यता प्राप्त नही है।

प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 03.01.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.11.2022 को समय 05.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म होटल श्री कन्हैया, एन.एच. 62, उथमण पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से सोहनराम पुत्र दलाराम जी चौधरी, हाल निवासी– होटल श्री कन्हैया, उथमण उपस्थित मिले, जो आम जनता को होटल में खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार (छगन मगन ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा होटल श्री कन्हैया के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार (छगन मगन ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर विक्रेता / खाद्य कारोबारकर्ता सोहनराम को प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल के अन्दर बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार (छगन मगन ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 640 / – (अक्षरे रुपये छः सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी सोहनराम को नकद अदा कर खरीद रसीद / बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1931, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार (छगन मगन ब्राण्ड) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये और खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार (छगन मगन ब्राण्ड) के चारों नमूना [illegible] लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:37 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.34/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1931 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री नरेश दान चारण, वार्ड बॉस के द्वारा दिनांक 30.11.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 26.11.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म होटल श्री कन्हैया, एन.एच. 62, उथमण, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सोहनराम से खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार (छगन मगन ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार (छगन मगन ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1931 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2007/Act/2007 दिनांक 05.12.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार (छगन मगन ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज बिल की छाया प्रति के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी की फर्म होटल श्री कन्हैया द्वारा खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार (छगन मगन ब्राण्ड) 400 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को फर्म G.M. Foods, Plot No.09, RIICO IND. AREA, ANGORE, [illegible]ur, Dist. Pali से जरिये टेक्स इनवोईस दिनांक 09.11.2022 द्वारा [illegible] किया गया था, जो खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार (छगन मगन ब्राण्ड) की ......लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला ... सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:37 IST
Reason: SelfAttested

... सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.34/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

निर्माता फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार (छगन मगन ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय मुख्य रुप से निर्माता C.M. Foods, Plot No.9, RIICO IND. AREA, ANGORE, Sumerpur, Dist. Pali ही दोषी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी सोहनराम को दोषमुक्त करते हुए हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्व प्रतिवादी मिनाक्षी स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (misbranded) खाद्य पदार्थ कच्चे केर का अचार (छगन मगन ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी मिनाक्षी, प्रोपराईटर, फर्म C.M. Foods, Plot No.9, RIICO IND. AREA, ANGORE, Sumerpur, Dist. Pali पर राशि रुपये 51,000/– (रुपये इक्यावन हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जातीी है। साथ ही, प्रतिवादी मिनाक्षी, प्रोपराईटर, फर्म C.M. Foods, Plot No.09, RIICO IND. AREA, ANGORE, Sumerpur, Dist. Pali को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार शास्ति (Penalty) की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 20.2..2024 को पेश हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:37 IST
Reason: SelfAttested